न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—281/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—111/26
बिहार राज्य बनाम् रविन्द्र चौधरी।

रविन्द्र चौधरी, पे0—मनोज चौधरी, उम्र लगभग—30 वर्ष।
साकिन—गवय, थाना—हथियावॉ, जिला—शेखपुरा।
....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से—श्री आशीष कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से— श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

17.03.2026 कारांधीन अभियुक्त रविन्द्र चौधरी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या—111/2026 के अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक को जानबूझकर झूठा केस में फंसाया गया है । आवेदक के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के द्वारा किसी दिगर स्थान से प्राप्त चुलाई शराब को आवेदक के कब्जे से बरामद होने की बात कही गयी है और पुलिस के द्वारा आवेदक से पुछताछ करने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक चुलाई शराब रखने या बेचने का कार्य नहीं करता है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है, जो मेहनत मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने के उपरांत फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार उचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–281/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–111/26
बिहार राज्य बनाम् रविन्द्र चौधरी।

लगातार

17.03.2026

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05:30PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि हथियावॉ थाना अंतर्गत गवय गॉव में रविन्द्र चौधरी, पिता–मनोज चौधरी के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब का बिक्री कर रहा है। ससमय छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी से अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें महिला सिपाही, गृहरक्षक सिपाही को शामिल कर समय करीब 06:40PM बजे हथियावॉ थाना अंतर्गत गवय गॉव में रविन्द्र चौधरी, पिता–मनोज चौधरी के दरवाजा के पास पहुंचा, तो देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में हरे रंग के प्लास्टिक के बोतल लेकर तेजी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो उक्त व्यक्ति को घर के अन्दर मुख्य दरवाजे के सीढ़ी के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रविन्द्र चौधरी, पे0–मनोज चौधरी, उम्र लगभग–30 वर्ष, साकिन–गवय, थाना–हथियावॉ, जिला–शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए उक्त व्यक्ति के कब्जे वाले हरे रंग की प्लास्टिक के बोतल को तलाशी लिया गया तो तलाशी के कम में बोतल 02 लीटर क्षमता वाला पाया गया। बोतल के ढक्कन खोलकर सुंघा गया तो बोतल से चुलाई शराब का गंध आया। बोतल के अन्दर 01.800 लीटर चुलाई शराब पाया गया। कुल चुलाई शराब की मात्रा– 01.800 बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–281/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–111/26
बिहार राज्य बनाम् रविन्द्र चौधरी।

लगातार

17.03.2026 अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 17–03–2026.

Date of Judgment/ Order	17.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.03.2026
Uploading Date	18.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.